राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली

सभी आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु सूचना

विषय: “प्रकल्प” (PRAKALP) कल्याण निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन के संबंध में।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में अधिकृत ठेकेदारों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों एवं उनके निकटतम आश्रितों को आर्थिक कठिनाइयों एवं आपातकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “प्रकल्प” (PRAKALP) कल्याण निधि स्थापित की गई है।

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों, दुर्घटना अथवा दिव्यांगता, मृत्यु अथवा शोक की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य असाधारण आर्थिक कठिनाइयों के मामलों में, योजना के प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, पात्र कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

1. आवेदन हेतु पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं:

1. आवेदक विश्वविद्यालय के किसी अधिकृत ठेकेदार/विक्रेता के माध्यम से नियोजित आउटसोर्स कर्मचारी होना चाहिए।
2. आवेदक की मासिक आय ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक ने सामान्यतः न्यूनतम छह माह की सेवा अवधि पूर्ण की होनी चाहिए। तथापि, असाधारण मामलों में प्रकल्प कल्याण निधि समिति द्वारा न्यूनतम सेवा अवधि में छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
4. सहायता का लाभ कर्मचारी के निकटतम आश्रितों, जिनमें पति/पत्नी, बच्चे तथा आश्रित माता-पिता शामिल हैं, से संबंधित पात्र मामलों में भी लिया जा सकता है।

2. वे परिस्थितियाँ जिनमें वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया जा सकता है

पात्र कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:

* चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थिति: प्रति मामले अधिकतम ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता।
* दुर्घटना अथवा दिव्यांगता: अधिकतम ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता।
* मृत्यु अथवा शोक की स्थिति: अधिकतम ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता।
* बच्चों की शिक्षा: पात्र एवं जरूरतमंद मामलों में प्रति वर्ष अधिकतम ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता।
* प्राकृतिक आपदा: अधिकतम ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता।
* अन्य असाधारण आर्थिक कठिनाई: ऐसे मामलों पर कल्याण निधि समिति द्वारा मामले की परिस्थितियों एवं गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।
* असाधारण परिस्थितियाँ: अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, कुल सेवा अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹1,00,000

तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए कुल सेवा अवधि के दौरान सामान्य सीमा तथा अन्य लागू प्रावधानों के अतिरिक्त उपर्युक्त असाधारण सहायता हेतु कुलपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

योजना के अंतर्गत प्रति आउटसोर्स कर्मचारी प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम ₹50,000 की वार्षिक सहायता सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान सामान्यतः कुल ₹75,000 की अधिकतम सीमा निर्धारित है। किसी भी प्रकार की सहायता संबंधित श्रेणी की निर्धारित सीमा, लागू अधिकतम सहायता सीमा तथा असाधारण मामलों के लिए योजना में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन प्रदान की जाएगी।

3. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ, संबंधित मामले के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

1. चिकित्सा संबंधी मामलों में चिकित्सा अभिलेख, चिकित्सक के पर्चे, चिकित्सा बिल तथा अन्य संबंधित दस्तावेज।
2. मृत्यु अथवा शोक से संबंधित मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र।
3. मासिक आय का प्रमाण।
4. दावे की परिस्थितियों एवं उसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करने वाले संबंधित दस्तावेज।
5. उपयुक्त अधिकारी/व्यक्ति द्वारा सत्यापन।
6. आवेदन पर विचार करने हेतु आवश्यक कोई अन्य सहायक दस्तावेज।

4. आवेदन जमा करने एवं उस पर विचार करने की प्रक्रिया

आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नामित कार्यालय/अधिकारी के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

कल्याण निधि समिति प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगी, दावों की प्रामाणिकता एवं तात्कालिकता का आकलन करेगी तथा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पात्र मामलों की संस्तुति करेगी।

समिति की संस्तुतियाँ अंतिम स्वीकृति हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय योजना के प्रावधानों के अनुसार अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. वित्तीय सहायता के भुगतान का माध्यम

स्वीकृत वित्तीय सहायता का भुगतान केवल बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. महत्वपूर्ण निर्देश

* वास्तविक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित पूर्ण एवं सही जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें।

* केवल आवेदन प्रस्तुत करने से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का स्वतः अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। सभी आवेदनों पर योजना के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार विचार किया जाएगा।
* आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी एवं दस्तावेज सही, प्रामाणिक एवं सत्य हों।
* आवेदनों से संबंधित सभी जानकारियों एवं दस्तावेजों को योजना में उल्लिखित गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित एवं गोपनीय रखा जाएगा।

सभी संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रावधानों का संज्ञान लें तथा पात्रता की शर्तें पूरी करने की स्थिति में आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली